संख्या 309/2023/1508/41–2023–237(सा0)/2022

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक पर्यटन,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊः दिनांकः–27 मार्च, 2023**

विषयः– उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 के प्रख्यापन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–588/2022/3956/41–2022–237(सा0)/2022 दिनांक 23.11.2022 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र की विविध सम्भावनाओं, बदलते परिदृश्य के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 को अवक्रमित करते हुये उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 प्रख्यापित की गयी है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 का अनुमोदित अंग्रेजी भाषा का ड्राफ्ट भी संलग्न किया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में वर्णित अनुदान, लाभ, छूट तथा वित्तीय प्रोत्साहन निवेशकों/उद्यमियों को प्रदान किये जाने हेतु जारी शासनादेश व अधिसूचना के क्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत आदेश जारी किया जा रहा है। तद्क्रम में अंग्रेजी भाषा में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 व हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी भाषा ही मान्य होगी।

अतः उपरोक्त प्रस्तर–1 के क्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के परिचालन हेतु निम्नवत आदेश किया जाता है।

1. लक्ष्य

यह नीति पर्यटन हित धारकों के सभी स्तरों के बीच साझा समृद्धि की दिशा में निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैः–

- सर्वोत्तम पर्यटक अनुभव के लिए विश्व स्तरीय पर्यटक बुनियादी ढांचे के साथ नए अनुभवात्मक पर्यटन सेवाएं प्रस्तुत करके राज्य की पर्यटन क्षमता का दोहन।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने के लिए निवेश–अनुकूल नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ एक सुगम पारदर्शी माहौल प्रदान करना।
- राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को प्रदेश में आकर्षित किये जाने हेतु नए पर्यटन उत्पादों, आयोजनों और राज्य के अल्पतर सेवित गंतव्यों का वैश्विक स्तर पर विपणन और प्रोत्साहन किया जाना।
- स्थानीय जनमानस हेतु लाभकारी रोजगार या स्वरोजगार के लिए पर्यटन–विशिष्ट कौशल विकास और क्षमता के निर्माण हेतु विशेष परियोजनायें।

2. रणनीति

अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभाग ने निम्न उद्देश्यों का समुच्चय निर्धारित किया है–

- अल्प–ज्ञात क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित और विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में फोकस पर्यटन स्थलों **(FTD-Focus Tourism Destination)** का विकास करना।
- उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विषयगत क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना और रोजगार पैदा करना।
- उच्च गुणवत्ता वाला पर्यटक–केंद्रित पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदारों के बीच सहयोग स्थापित करना।
- उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए सरकार के लघु, मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन पारिस्थितिकी के व्यापक विकास पर जोर देना।
- आगंतुक पर्यटकों की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए पर्यटन परिपथों में बुनियादी ढांचे और पर्यटन अवसरों को बढ़ाना।
- विभिन्न मंडलों/योजना क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए विकासशील गंतव्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें आकर्षण के प्रमुख कारकों के रूप में क्रियाशील करना ।
- पर्यटन उत्पादों का विकास करना, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य क्षेत्रों से विशिष्ट पर्यटन उत्पादों को संचालित करने के लिए गांवों में उपलब्ध विशिष्टताओं **(Unique Selling Point)** की पहचान करना शामिल है।
- सोशल मीडिया हैंडलों, वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशनों **(Apps)** सहित सभी पर्यटन संबंधी बिंदुओं से मिले ग्राहक आंकड़ों के आधार पर सेवाओं और पर्यटन आपूर्ति प्रतिक्रियाओं को लक्ष्य करना।
- अल्पज्ञात पर्यटक आकर्षण केंद्रों **(Lesser Known Tourist Attractions)** पर कैरावेन पर्यटन, जल क्रीड़ा, साहसिक गतिविधियों जैसे नए पर्यटन उत्पादों और सेवाओं का विकास करना।
- प्रदेश के पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं की कमी को दूर करने हेतु पर्यटन विभाग पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय सुविधाओं का सृजन करेगा। जिसमें निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सहभागिता व भूमिका भी होगी।

3. <u>ध्येय</u>

नवीन पर्यटन नीति–2022 का ध्येय उत्तर प्रदेश के स्थानीय लोगों में समावेशी पर्यटन विकास की भावना लाना और उत्तर प्रदेश के जीवन्त शहरों, पर्यटन आकर्षणों, प्रकृति, वन्य जीव, साहसिक गतिविधियों, व्यंजन, विरासत, हस्तशिल्प और संस्कृति आदि में पर्यटन के अनुभवों का इष्टतम उपयोग करना है। प्रख्यापित पर्यटन नीति के मुख्य ध्येय निम्नवत् हैः–

- उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारणों, पक्षी विहारों, नैसर्गिक सुरम्य स्थलों की तरफ आकर्षित करना।
- राज्य के भीतर सड़क, रेल और वायुमार्ग के माध्यम से सभी धार्मिक और सांस्कृतिक आकर्षणों के क्षेत्रीय सम्पर्क को बेहतर बनाना एवं इसके लिए सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वयन।
- राज्य को एक प्रमुख सभा सम्मेलन, प्रदर्शनी, एक्सपो **(MICE)**गंतव्य के रूप में विकसित करना।
- उच्च गुणवत्तायुक्त पर्यटक अनुभव प्रदान करने के लिए प्रदेश में सार्वजनिक सेवा सुविधाओं के मानकों का स्तर बढ़ाना।

- वार्षिक कलेण्डर के अनुसार विभिन्न शहरों एवं प्रमुख पर्यटन स्थलों में आयोजनों और उत्सवों को प्रोत्साहित करना और उनका राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करना।

4. प्रभावी अवधि

पर्यटन स्थलों के दूरगामी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए यह पर्यटन नीति, लागू होने की तिथि से आगामी 05 वर्षों हेतु प्रभावी होगी।

कोविड महामारी से आतिथ्य सत्कार/पर्यटन क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। अतः प्रदेश में आतिथ्य सत्कार व पर्यटन क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश आकर्षित किये जाने हेतु सकारात्मक उपायों की आवश्यकता है।

अतः दिनांक 01 फरवरी, 2018 के बाद पंजीकृत, निर्माणाधीन, अर्द्धनिर्मित, निर्मित व असंचालित इकाइयाँ जिन्होंने पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया है, इस प्रस्तावित पर्यटन नीति के अंतर्गत अनुमन्य लाभ प्राप्त करने हेतु नियमानुसार अर्ह होगी।

पूर्व में लागू फरवरी, 2016 तथा फरवरी, 2018 की पर्यटन नीतियों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर चुकी पर्यटन इकाइयों को विस्तारीकरण हेतु इस नीति के अन्तर्गत विस्तारीकरण की अनुमन्य सीमान्तर्गत लाभ प्राप्त होंगे।

फरवरी, 2016 से पूर्व निर्मित हेरिटेज भवनों, महलों, किलों अथवा अन्य वर्गीकृत प्राचीन भवनों **(Classified Old Buildings)** जिन्हें अनुकूली पुनः उपयोग **(Adaptive Re-Use)** के माध्यम से पर्यटन इकाइयों में रूपान्तरित किया जाएगा, को इस नीति के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य किये जाएंगे। इन इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन /अनुदान प्रदान किये जाने हेतु पात्रता का निर्धारण विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त/ परीक्षणोपरान्त किया जायेगा। इस प्रकार के विशिष्ट श्रेणी के भवनों पर इस नीति के प्रभावी होने के उपरान्त आगामी 5 (पांच) वर्षों हेतु यह प्राविधान लागू होंगे जिन्हें शासन द्वारा इस आशय हेतु गठित समिति द्वारा विशिष्ट श्रेणी के भवनों का दर्जा प्रदान किया जायेगा।

5. निम्नलिखित पर्यटन गतिविधियों को पर्यटन नीति में पर्यटन/सत्कार इकाइयों की श्रेणियों का दर्जा प्रदान होगा–

1. बजट होटल **(Budget Hotel)**
2. हेरिटेज होटल **(Heritage Hotel)**
3. स्टार वर्गीकृत होटल्स **(Star Classified Hotels)**
4. हेरिटेज होम स्टे **(Heritage Home Stay)**, होम स्टे **(Home Stay)**, ग्राम स्टे/फार्म स्टे**(Rural-Agro Homestay)**
5. इको–टूरिज्म इकाईयां **(Eco Tourism Units)**
6. कैरावेन यूनिट **(Caravan Tourism Units)**, कैरावेन पार्किंग स्थल **(Caravan Parking Places)**
7. प्रदर्शनी/कॉन्फ्रेस/सम्मेलन केन्द्र/प्रेक्षागृह/सांस्कृतिक केन्द्र/सार्वजनिक म्यूजियम **(Convention Centre /MICE activities/ Cultural centers/Public Museums.)**
8. यात्री सुविधा केन्द्र/यात्री निवास/टूरिस्ट स्थलों पर मल्टीलेवल पार्किंग **(Pilgrims Dormitories/Pilgrims accommodations/Multilevel Parkings)**

9. रिसोर्ट **(Resort),** वेलनेस रिसोर्ट **(Wellness Resorts),** इको रिसोर्ट**(Eco Resort)**
10. सर्वऋतु/अस्थायी मौसमी शिविर **(All weather/Seasonal Camps),** स्थायी टेंटेड/तम्बू आवास **(Permanent Tented Accomodation/ Swiss Cottages)**
11. जलाशय/झील/नदी क्रूज पर्यटन इकाई **(Waterbodies/ Lake /River Cruise Tourism Unit)**
12. आरोग्य पर्यटन इकाई **(Wellness Tourism Units, Wellness Centres),** अंतरराष्ट्रीय योग ग्राम/प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र **(International Yoga Center/ Naturopathy Centers)**
13. साहसिक पर्यटन परियोजनाएं **(Adventure Tourism Projects)**
14. थीम पार्क/शिल्प बाजार/शिल्पग्राम/मनोरंजन पार्क/वाटर पार्क **(Theme Parks/Craft Markets/Amusements Parks/Water Parks)**
15. ध्वनि और प्रकाश शो/लेजर शो **(Light and Sound Show/ Laser show)**
16. पर्यटन और आतिथ्य प्रशिक्षण संस्थान **(Tourism & Hospitality training Institutes)**
17. मार्गीय (वेसाइड) सुविधाएं/आधुनिक ढाबा **(Wayside Amenities)**
18. फ्लोटिंग होटल/फ्लोटिंग रेस्टोरेन्ट/रिवाल्विंग रेस्टोरेण्ट **(Floating Hotels/ Floating Restaurants/Revolving Restaurants)**
19. शिकारा/बजरा **(Houseboats)**
20. सार्वजनिक गोल्फ पर्यटन इकाईयाँ **(Public Golf Course Units -Open to All/ Non restricted)**
21. पर्यटन सेवा प्रदाता **(Tour & Travel Operators working for International inbound tourists)**
22. नई पर्यटन स्टार्टअप इकाई **(New Tourism Startup Units)**

<u>टिप्पणी:–</u>

– पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत वर्गीकृत होटल/सितारा होटल और अन्य पर्यटन इकाइयां भी इस नीति के तहत रियायतें और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

– केन्द्र/राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित पर्यटन संबंधी अन्य गतिविधियाँ भी इस नीति के अंतर्गत रियायतें एवं प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगी।

6. **नये पर्यटन गन्तव्यों का विकास–**

- **रामायण सर्किट–** अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, बिजेथुआ महावीरन (सुलतानपुर), बिठूर (कानपुर) व अन्य।
- **कृष्ण–बृज सर्किट–** मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नन्दगांव, बलदेव मन्दिर (मथुरा), महावन (मथुरा) व अन्य स्थल (ब्रजतीर्थ विकास परिषद द्वारा चिह्नित)।
- **बुद्धिस्ट सर्किट–**कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संकिसा, अतरंजी–खेड़ा (एटा), देवदह (महाराजगंज), रामग्राम (महराजगंज), अहिच्छत्र (बरेली) व अन्य।

- **वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट**– दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, कतर्निया घाट (बहराइच), ब्लैकबक कंजर्वेशन रिजर्व मेजा इलाहाबाद, लायन सफारी पार्क इटावा, बखीरा सैंक्चुअरी, चन्द्रा प्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, कैमूर सैंक्चुअरी, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, लाख बहोसी सैंक्चुअरी, महावीर स्वामी सैंक्चुअरी, नेशनल चम्बल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, नवाबगंज बर्ड सैंक्चुअरी, पार्वती अरंगा बर्ड सैंक्चुअरी, पटना बर्ड सैंक्चुअरी, रानीपुर सैंक्चुअरी, समन सैंक्चुअरी, समसपुर सैंक्चुअरी, साण्डी बर्ड सैंक्चुअरी, सोहागीबरवा सैंक्चुअरी, सुहेलवा सैंक्चुअरी, सुरहाताल सैंक्चुअरी, विजयसागर सैंक्चुअरी, सेखा झील अलीगढ़, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा व अन्य स्थल जो उत्तर प्रदेश इको–टूरिज़्म बोर्ड द्वारा सम्मिलित किये जायें।
- **बुन्देलखण्ड सर्किट**– चरखारी, चित्रकूट, कालिंजर, झांसी, देवगढ़, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन व अन्य।
- **महाभारत सर्किट**– हस्तिनापुर, काम्पिल्य, अहिच्छत्र, बरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोण्डा, लाक्षागृह, हण्डिया (प्रयागराज), कीचकवध स्थल राठ (हमीरपुर) तथा विदुर कुटी (बिजनौर) व अन्य।
- **शक्तिपीठ सर्किट**– विन्ध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा, काली खो विन्ध्याचल, पाटेश्वरी देवी देवीपाटन (बलरामपुर), कड़ावासिनी (कौशाम्बी), ललिता देवी (नैमिषारण्य), ज्वाला देवी (सोनभद्र), शाकुम्भरी देवी (सहारनपुर), शिवानी देवी (चित्रकूट), कात्यायिनी देवी (मथुरा), शीतला चौकिया धाम (जौनपुर), सीता समाहित स्थल (भदोही), अलोपी देवी, ललिता देवी, (प्रयागराज), विशालाक्षी देवी (वाराणसी), बेल्हादेवी, गायत्री शक्ति पीठ (सुमेरपुर), बैरागढ़ माता, कौंच (जलौन), चंडिका देवी, बक्सर (उन्नाव), कुष्माण्डा देवी घाटमपुर (कानपुर देहात), देवकली मंदिर (औरैया), माँ तरकुलहा देवी धाम (गोरखपुर), माँ शीतला माता स्थल (मऊ) व अन्य।
- **आध्यात्मिक सर्किट**–गोरखपुर, बलरामपुर, गाजीपुर–हथियाराम भरकुरा, गौरिया मथुरा, संतरविदास स्थल, मौनी बाबा चोचकपुर, पवहारी बाबा आश्रम (गाजीपुर), कीनाराम आश्रम (चंदौली), त्रिवेणी संगम, भारद्वाज आश्रम (प्रयागराज), घुइसरनाथ धाम (प्रतापगढ), भृगु ऋषि आश्रम (फतेहपुर), व्यासपीठ कालपी (जालौन), गोला गोकर्णनाथ (लखीमपुर खीरी), माँ परमेश्वरी देवी (आजमगढ), भृगु आश्रम बालेश्वर (बलिया), दुग्धेश्वर शिव स्थल (देवरिया), मखौडा धाम (बस्ती), शिव मंदिर श्रृंखला, बटेश्वर (आगरा), सोरों आश्रम (कासगंज), शीतला माता मंदिर (मैनपुरी), हनुमत धाम (शाहजहाँपुर), हनुमान मंदिर (शामली) व अन्य।
- **सूफी–कबीर सर्किट**–जायस अमेठी, मगहर संतकबीरनगर, सलीम चिश्ती दरगाह फतेहपुर सीकरी, देवा शरीफ बाराबंकी, दरगाह मारहरा शरीफ (एटा), दरगाह सूफी शाह शरीफ, दरगाह शफी शाह शरीफ (फिरोजाबाद), लहरतारा आश्रम, (कबीर जन्म स्थल वाराणसी), खानकाह–ए–नियाजिया (बरेली), किछौछा शरीफ (अम्बेडकर नगर) अमरोहा, बदाँयू व अन्य।
- **जैन सर्किट**–देवगढ़, हस्तिनापुर, वेहलना (मुजफ्फरनगर), बड़ौत (बागपत), बटेश्वर (आगरा), काम्पिल्य (फरूखाबाद), पार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ, सुपार्श्वनाथ, चन्द्रप्रभु मंदिर (वाराणसी), चन्द्रवार जैन मंदिर, बाहुबली जैन मंदिर (फिरोजाबाद) मंगलायतन जैन मंदिर, (हाथरस), अहिछत्र पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन

मंदिर (रामनगर) व अन्य।

- **क्राफ्ट सर्किट**–मार्बल इनले एवं जरदोजी (आगरा), ग्लास क्राफ्ट (फिरोजाबाद), ग्लासबीड्स क्राफ्ट, पुर्दिल नगर मेटल वर्क, वाद्ययंत्र (हाथरस), तारकशी क्राफ्ट (मैनपुरी), पीतल क्राफ्ट (मुरादाबाद), पीतल क्राफ्ट एवं ताला (अलीगढ), वुडेन क्राफ्ट (सहारनपुर), मूढ़ा क्राफ्ट (हापुड़), हथकरघा, पिलखुवा (हापुड), बनारसी साड़ी, गुलाबी मीनाकारी, लकडी के खिलौने, स्टोन कारविंग (वाराणसी), जरी–वर्क (जौनपुर), पीतल के बर्तन (मिर्जापुर), पॉटरी उद्योग (चुनार), पीतल क्राफ्ट जखौरा (ललितपुर), पीतल क्राफ्ट अमरा (झाँसी), सिलवरफिश क्राफ्ट मौदहा (हमीरपुर), शजर पत्थर क्राफ्ट (बांदा), पेपर क्राफ्ट कालपी (जालौन), ग्लैज़्ड पोटरी (रामपुर), कालीन क्राफ्ट (अमरोहा), खुरज़ा पोटरी (बुलन्दशहर), कालीन क्राफ्ट (सम्भल), टेरा–कोटा (गोरखपुर) व अन्य ओ.डी.ओ.पी.(एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत सम्मिलित क्राफ्ट निर्माण केन्द्र)।
- **स्वतंत्रता संग्राम सर्किट**–मेरठ, शाहजहाँपुर, काकोरी, बावन इमली (फतेहपुर), चौरी–चौरा (गोरखपुर), महुआ डाबर (बस्ती) व अन्य।

  <u>नोटः–</u> उपरोक्त परिभाषित व चिह्नित सर्किटों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य ऐसे पर्यटन स्थल**(Tourist Destinations)** जो कि पर्यटन सुविधाओं, आतिथ्य सत्कार इकाइयों से असेवित गंतव्य **(UnServed Destination)** हैं, वे भी नीति के अंतर्गत सभी अनुमन्य लाभ नियमानुसार प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे असेवित गंतव्य **(UnServed Destination)** तथा उपरोक्त सर्किटों में शामिल किये जाने हेतु नवीन स्थलों/जनपदों की सूची विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट पर समय–समय पर प्रकाशित की जायेगी।

7. नीति में प्रस्तावित आर्थिक प्रोत्साहन, सब्सिडी और रियायतें

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत सभी स्टार केटेगरी होटल्स/रिसोर्टस व परिभाषित पात्र पर्यटन परियोजनाओं को आतिथ्य उद्योग **(Tourism Industry)** का दर्जा देकर परियोजनाओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन/सब्सिडी/छूट प्रदान की जाएंगी।

- पर्यटन विभाग में पंजीकृत/वर्गीकृत होटलों से विद्युत शुल्क व्यावसायिक दरों के स्थान पर औद्योगिक दरों पर लिये जायेंगे।
- पर्यटन नीति में वर्णित सभी वर्गों/श्रेणियों के अन्तर्गत स्थापित होने वाली पर्यटन/सत्कार इकाईयों से नगर निगम व जल संस्थान की गृह कर **(Property Tax)** , जलमल कर **(Water sewarage Tax)** उद्योग की भांति ही देय होंगे।
- राज्य सरकार के द्वारा स्थापित एवं विकसित औद्योगिक क्षेत्रों एवं अन्य प्राधिकरणों के अन्तर्गत आवंटित औद्योगिक भूखण्डों पर होटल व रिसोर्ट का निर्माण अनुमन्य किया जायेगा एवं इन्हें उद्योग का दर्जा दिया जायेगा।
- पर्यटन नीति में वर्णित सभी वर्गों/श्रेणियों हेतु पूंजीगत अनुदान **(Capital Subsidy)** का निर्धारण :–

क्रम संख्या	निवेश लागत (रू0 करोड़ में)	सब्सिडी का प्रतिशत	अधिकतम देय धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	रू0 10 लाख से 10 करोड़ तक	25	02
2	रू0 10 करोड़ से अधिक तथा रू0 50 करोड़ तक	20	7.5
3	रू0 50 करोड़ से अधिक तथा रू0 200 करोड़ तक	15	20

4	रू0 200 करोड़ से अधिक तथा रू0 500 करोड़ तक	10	25
5	रू0 500 करोड से अधिक	10	40

- **<u>पर्यटन इकाइयों को ब्याज सब्सिडी</u> (Interest Subsidy)**

  रू0 5 करोड़ (रुपये पांच करोड़) तक की बैंक ऋण राशि पर पात्र पर्यटन इकाईयां अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष ऋण राशि के 5 प्रतिशत दर से ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकती हैं जो अधिकतम रू0 25 लाख(पच्चीस लाख रुपये) होगा। बजट होटलों, कैम्पिंग इकाइयों, अस्थायी टेंट आवासों, होमस्टे आदि को ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

  <u>नोटः–</u> पंजीकृत पर्यटन इकाई ब्याज सब्सिडी अथवा कैपिटल सब्सिडी में से किसी एक अनुदान हेतु ही अनुमन्य होगी।

- **स्टाम्प ड्यूटी छूट (Stamp Duty Exemption)**

  पात्र पर्यटन इकाइयाँ इस नीति की संचालन अवधि के दौरान प्रथम भूमि के क्रय/लीज/ट्रांसफर पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट के लिए पात्र होंगी। पंजीकृत इकाई द्वारा यह छूट मात्र एक बार ही प्राप्त की जा सकेगी। उक्त छूट हेतु आवेदक को समकक्ष धनराशि के सापेक्ष बैंक गारण्टी, संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के नाम प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी।

- **भू–उपयोग परिवर्तन और विकास शुल्क (Land use conversion & Development charges)**

  सभी नई और विस्तार कर रही पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन और विकास शुल्क माफ किया जाएगा (लीजहोल्ड पर्यटन इकाइयों को विकास प्राधिकरण के उप–नियमों के अनुसार फ्रीहोल्ड की अनुमति दी जाएगी)। जिन पर्यटन इकाईयों की स्थापना ऐसे स्थलों पर की जा रही है, जहां बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला(ड्रेनेज) आदि सुविधायें न हो, उक्त पर्यटन इकाईयों के उद्यमी से सभी वर्णित आवश्यकताओं का प्रबन्ध उद्यमी द्वारा स्वंय किया जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर इकाई को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त होगी।

- **रोजगार सृजन पर ई0पी0एफ0 सब्सिडी (EPF Subsidy)**

  50 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली इकाईयों को राज्य के अधिवासी श्रमिकों को नियोजित करने पर उन श्रमिकों के लिए 5 साल की अवधि तक ईपीएफ व्यय में नियोक्ता के योगदान का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- **दिव्यांग अनुकूल इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन**

  दिव्यांग श्रमिकों को रोजगार देने वाली इकाइयों को प्रति इकाई अधिकतम पांच श्रमिकों के लिए प्रति कर्मचारी रु0 1500/–(रूपये पन्द्रह सौ) प्रति माह की पे–रोल सहायता मिलेगी।

- **उत्तरदायी पर्यटन(Responsible Tourism) के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन**

  प्राकृतिक संसाधनों का सुविचारित उपयोग एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कार्बन फुटप्रिण्ट कम करने वाली इकाइयों को यह सुविधा अनुमन्य होगी।

  i- पात्र पर्यटन इकाइयों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/सलाहकार द्वारा जल संचयन/संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं जैसेः– हरित भवनों (**Green**

Buildings), सौर, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उपायों (**Renewable Energy Unit**) की ऊर्जा सम्परीक्षा करने की लागत का 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो प्रति इकाई अधिकतम रु0 01 लाख (रुपये एक लाख) तक होगी। यह धनराशि नीति की परिचालन अवधि के दौरान केवल एक बार दी जाएगी।

ii- सीवरेज उपचार संयंत्र की स्थापना की पूंजीगत लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम रु0 20 लाख (रुपये बीस लाख) की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। यह अनुदान प्रति वर्ष अधिकतम दो व्यक्तिगत इकाइयों को ही देय होगा।

iii- मान्यता प्राप्त एजेंसी जैसे–आईजीबीसी (**Indian Green Building Council**)/गृहा (**Green Rating Integrated Habitat Assessment**/एलईईडी(**Leadership in Energy and Environmental Design**) आदि से ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पर्यटन इकाई को 50 प्रतिशत, अधिकतम रु0 10 लाख (रुपये दस लाख) रुपये तक की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

iv- ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल **(GSTC)** की मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों को 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, अधिकतम रु0 5 लाख (रुपये पांच लाख) तक प्रदान की जायेगी।

- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT-Information and Communication Technology) सक्षमता क लिए विशिष्ट प्रोत्साहन**

राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के टूर व ट्रैवल मार्ट्स सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और अन्य आयोजनों जिनमें डिजिटल प्लेटफार्म व नवीन सूचना प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जायेगा, को विधिवत सुविधा और समर्थन देगी। इस तरह के टूर व ट्रैवल मार्ट्स के आयोजन के लिए राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पर प्रति कार्यक्रम अधिकतम रु0 10 लाख (रुपये दस लाख) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

टूर व ट्रैवल ऑपरेटर्स ऑडियो/वीडियो गाइड तथा डिजिटल प्रचार–प्रसार सामग्री **(Digital Platform/Mobile app/website/ Metaverse)** आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी **(Artificial Intelligence, Robotics, Virtual Reality)** के निर्माण की लागत के 25 प्रतिशत या रु0 10 लाख (रुपये दस लाख), जो भी कम हो, की सीमा तक एक बार सहायता पाने के पात्र होंगे।

- **नवाचार विशिष्ट प्रोत्साहन (Innovation)**

अभिनव प्रयास अथवा नवाचार करने वाली नवीन परियोजनाओं के लिए पात्र पर्यटन इकाइयों को एकमुश्त प्रोत्साहन अधिकतम रु0 50,000/–(रुपये पचास हज़ार) प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन परियोजना के सफलतापूर्वक चालू होने के बाद वितरित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा नवोन्मेषी परियोजनाओं को उचित मान्यता एवं प्रचार–प्रसार दिया जायेगा। नवाचार घोषित करने संबंधी निर्णय शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा लिया जायेगा।

- **विपणन और संवर्धन प्रोत्साहन (Marketing and Branding)**

विभाग में पंजीकृत सभी पर्यटन सेवा प्रदाता इस प्रोत्साहन के पात्र होंगे। यह प्रोत्साहन नीति की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार केवल 20 टूर व ट्रैवल ऑपरेटरों को दिया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के टूर व ट्रैवल मार्ट्स

की शुरूआत में विभाग इस प्रकार के अनुदान हेतु अनुमन्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के नाम और संख्या की सूचना जारी करेगा।

ट्रैवेल मेलों/ट्रैवेल ट्रेड मार्ट्स में लिए गए स्थान के किराए के रूप में किए गए वास्तविक भुगतान का 50 प्रतिशत, जो प्रति राष्ट्रीय आयोजन अधिकतम रु0 30,000/–(रुपये तीस हज़ार) या प्रति अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख) तक सीमित है। उ0प्र0 पर्यटन विभाग का जिन ट्रैवल मेलों/मार्ट्स में पेवेलियन ना होने पर भाग लेने वाले टूर व ट्रैवल ऑपरेटरों को यह प्रोत्साहन देय होगा। यह प्रोत्साहन प्रत्येक आयोजन/ट्रैवल मार्ट्स के लिए "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर अधिकतम तीन फर्मों को प्रदान किया जाएगा।

- **पर्यटन/आतिथ्य उद्योग में शोध के लिए सहायता (Assistance for Research)**

उत्तर प्रदेश में यात्रा और पर्यटन/आतिथ्य क्षेत्र पर शोध/अध्ययन करने के लिए मान्यता प्राप्त यात्रा संघों/होटल संघों/चैम्बर ऑफ कॉमर्स/विश्वविद्यालयों/प्रबंधन संस्थानों/ गैर सरकारी संगठनों(जैसे– वर्ल्ड वाइड फण्ड फॉर नेचर, कछुआ संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, वाइल्ड लाइफ, क्राफ्ट आदि)/अन्य यात्रा और आतिथ्य संगठनों को अधिकतम रु0 10 लाख (रुपये दस लाख) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसंधान के विषय को उद्योग की प्रासंगिकता और आवश्यकताओं के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्ष में ऐसे पांच ही अध्ययन स्वीकृत किए जाएंगे। मान्यता प्राप्त आतिथ्य संघ और पर्यटन/आतिथ्य/प्रबंधन के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से किए गए शोध को वरीयता दी जाएगी।

- **राज्य की दुर्लभ एवं लुप्तपाय कला, संस्कृति और व्यंजनों का संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित किये जाने हेतु प्रोत्साहन**

अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय महत्व के प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य स्थलों के आसपास 50 किमी की रेन्ज में उत्तर प्रदेश की स्थानीय पारंपरिक और दुर्लभ व लुप्तप्राय कला, संगीत, शिल्प, लोक नृत्य और व्यंजनों के संरक्षण, संवर्धन व पुनर्जीवित करने में शामिल व्यक्ति/समूह को रु0 5 लाख (रुपये पांच लाख) तक का एकमुश्त अनुदान दिया जायेगा। वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा संस्कृति विभाग के समन्वय से ऐसी दुर्लभ एवं लुप्तप्राय कला, संगीत, शिल्प, लोक नृत्य और व्यंजनों की सूची प्रकाशित की जायेगी।

प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यटन व संस्कृति परिषद द्वारा अनुशंसा प्रदान की जाएगी। यह प्रोत्साहन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक मण्डल के अधिकतम 10 आवेदकों को (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर) देय होगा।

8. <u>युवा पर्यटन–</u>

युवा पर्यटन क्लबों को देश में उत्तरदायी (**Responsive**) और सतत (**Sustainable**) पर्यटन विकसित करने के साधन के रूप में चिन्हित किया गया है जिसके तहत बच्चों एवं युवाओं में प्रारम्भ से ही पर्यटन व संस्कृति की समझ, आवश्यकता तथा महत्व को विकसित करने की योजना है। इस पहल से पर्यटन के माध्यम से युवाओं में उत्तर प्रदेश की गहरी समझ विकसित करने और इसी प्रकार भारतीय संस्कृति और विरासत को समझने में सुविधा होगी। क्लब विभिन्न जनपदों के शैक्षणिक संस्थानों में यात्रा और पर्यटन के महत्व को भी दर्शाएँगे।

I. एडवेंचर व स्पोटर्स टूरिज्म, ऐतिहासिक स्मारकों की यात्राएं प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट पर्यटन परिपथों जैसे–पर्यावरण पर्यटन, हेरिटेज वॉक, हस्तशिल्प पर्यटन, वन्यजीव अभ्यारण्य आदि पर जानकारी और यात्रा कार्यक्रम

प्रासंगिक मंचों पर साझा किए जाएँगे।

II. प्रत्येक जनपद के सरकारी इंटरमीडिएट स्कूलों (**GIC/GGIC**)/राजकीय डिग्री कॉलेज /नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय स्कूल/श्रमिक स्कूल (अटल), कस्तूरबा गांधी विद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थानों को पर्यटन संबंधित गतिविधियों (**Yuva Tourism Activities**) के संचालन हेतु रू0 10,000/–(रुपये दस हज़ार) तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। एक मण्डल में एक वर्ष में अधिकतम 10 ऐसे क्लबों को संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति पर सहायता प्रदान की जायेगी।

III. इसके अतिरिक्त प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल आदि युवाओं पर केन्द्रित संस्थाओं के सदस्यों के माध्यम से युवा पर्यटन क्लबों को गठित कर युवा पर्यटन गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

IV. किसी शैक्षणिक संस्थान को वर्ष में एक बार ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

9. राज्य पर्यटन पुरस्कार

राज्य में विभिन्न पर्यटन व्यवसायों द्वारा संचालित असाधारण पहलों और सेवा की गुणवत्ता को मान्यता प्रदान करने के लिए बेस्ट टूर ऑपरेटर/बेस्ट वेलनेस सेंटर/बेस्ट होटल/बेस्ट हेरिटेज होटल/बेस्ट ईको–टूरिज्म ऑपरेटर/बेस्ट इको रिसॉर्ट/बेस्ट होमस्टे/बेस्ट एडवेंचर टूर ऑपरेटर आदि के राज्य पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में निवेश और उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 10 होगी एवं प्रत्येक पुरस्कार अधिकतम रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख) की धनराशि व प्रमाण पत्र/सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह सहित, विभाग द्वारा 'उत्तर प्रदेश दिवस', 'विश्व पर्यटन दिवस' अथवा 'राष्ट्रीय पर्यटन दिवस' के अवसर पर वर्ष में एक बार प्रदान किया जायेगा।

10. एकल खिड़की सुविधा (सिंगल विंडो सिस्टम)

उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक सेवाओं/अनुमतियों/अनुमोदन/आज्ञा/लाइसेंस के लिए एक प्रभावी आईटी सक्षम केंद्रीकृत प्रसंस्करण तंत्र बनाने का प्रयास करेगी जो पर्यटन और उद्योग विभागों की योजनाओं में समन्वय स्थापित करेगा। इसे औद्योगिक विकास विभाग द्वारा संचालित निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ा जायेगा।

11. पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि की उपलब्धता कराना :

राज्य सरकार वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार सभी प्रकार की पर्यटन इकाइयों की स्थापना और विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगी, जिनका विवरण निम्नवत है–

- पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए चिन्हित की गई उपयुक्त भूमि को पृथक से पर्यटन विभाग के लिये आरक्षित रखा जाएगा। ऐसे भूमि बैंक की जानकारी संबंधित स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन/राजस्व विभाग,पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- ऐसी भूमि का आवंटन विहित प्रक्रियानुसार संबंधित क्षेत्र में तत्समय प्रभावी जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति (**District Level Committee**) द्वारा निर्धारित बाजार दरों पर किया जाएगा।

- इस नीति के तहत उपलब्ध कराई गई भूमि का उपयोग कम से कम 30 वर्षों के लिए आवंटन प्रयोजन से इतर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

12. हरिटेज होटल

हेरिटेज होटलों के वर्गीकरण हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित परिभाषा को अंगीकृत किया गया है। पर्यटन नीति जनवरी 1950 से पूर्व में निर्मित भवनों/किलों/हवेलियों/कोठियों व महलों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने को बढावा देती है। हेरिटेज पर्यटन इकाईयों हेतु निम्न प्रकार वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी एवं छूट के प्रावधान किये गये हैं।

12..1. पूँजीगत निवेश पर सब्सिडी

पंजीकृत हेरिटेज इकाई के मूल स्वरूप/बाह्य संरचना में बिना बदलाव लाये इकाई के संरक्षण (**Conservation work**)/विस्तार/रेनोवेशन /रेट्रोफिटिंग (**Look Alike Expansion**) आदि हेतु पूँजीगत निवेश के 25 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5 करोड़ (रुपये पांच करोड़) की सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है।

12..2. ब्याज सब्सिडी

पर्यटन नीति में पात्र इकाईयों को वित्तीय संस्थानों से हेरिटेज इकाई के मूल स्वरूप/संरचना में बिना बदलाव लाये इकाई के संरक्षण/विस्तार/रेनोवेशन/रेट्रोफिटिंग (**Look Alike Expansion**) आदि हेतु लिये गये अधिकतम रू 5 करोड़ (रुपये पांच करोड़) के ऋण पर 5 वर्ष तक 5 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

नोट–हेरिटेज इकाइयों को पूँजीगत एवं ब्याज अनुदान दोनों अनुमन्य होगा।

12..3. स्टैम्प ड्यूटी से छूट (Stamp Duty Exemption)

यदि हेरिटेज होटल की स्थापना अथवा विस्तारीकरण(Expansion) हेतु एक ही व्यक्ति के स्वामित्व के अधीन कोई भवन और उससे लगी हुई भूमि क्रय की जाती है तो ऐसे समव्यवहार पर सम्पूर्ण स्टैम्प ड्यूटी विभाग द्वारा सब्सिडी के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

12..4. भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क (Land use conversion & Development charges)

पर्यटन नीति में हेरिटेज होटल की स्थापना हेतु भू–उपयोग परिवर्तन आवश्यक होने पर ऐसा परिवर्तन निःशुल्क किये जाने का प्रावधान है।

12..5. आबकारी लाइसंस शुल्क (Excise waiver)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले हेरिटेज होटलों के परिसर में बार लाइसेंस हेतु लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (**Reimbursement**) किये जाने का प्रावधान किया जायेगा।

12..6. इंफास्ट्रक्चर विकास

राज्य सरकार हेरिटेज होटल्स तक सर्वऋतु मार्ग तथा अतिक्रमण मुक्त लिंक रोड की व्यवस्था करायेगी। निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत सब स्टेशन/ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाएगी तथा आकर्षक साइनेज लगाये जायेंगे।

12..7. **प्रचार–प्रसार**

राज्य सरकार पर्यटन विभाग के पर्यटन साहित्य, वेबसाइट, मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से हेरिटेज पर्यटन से सम्बन्धित उत्पादों तथा क्रिया–कलापों का प्रचार–प्रसार करेगी।

13. प्रदेश में आने वाले देशी–विदेशी पर्यटकों हेतु पारम्परिक पर्यटन के साथ नवीन पर्यटन उत्पाद जैसे–क्राफ्ट टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, ग्राम होमस्टे, हेरिटेज होमस्टे, युवा पर्यटन, वेडिंग डेस्टिनेशन टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जायेगा।

14. **वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार एवं स्वीकृति की प्रकिया**

- पूंजीगत अनुदान (**Capital Subsidy**) व ब्याज सब्सिडी (**Interest Subsidy**) हेतु निवेशक द्वारा महानिदेशक, पर्यटन को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों (रू0– 01 करोड़ या अधिक) पर सब्सिडी दिये जाने पर निर्णय निम्न समिति द्वारा किया जाएगाः–

क्र. सं.	विवरण	
1.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य सचिव

- रू0–01.00 करोड़ (रुपये एक करोड़) से कम की पूंजीगत अनुदान (**Capital Subsidy**) व ब्याज सब्सिडी (**Interest Subsidy**) एवं नीति में वर्णित अन्य सभी अनुदान एवं वित्तीय प्रोत्साहन हेतु प्राप्त आवेदनों पर अनुदान दिये जाने पर निर्णय निम्न समिति द्वारा किया जाएगाः–

क्र. सं.	विवरण	
1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना तकनीकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य

5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
6.	प्रधानाचार्य, होटल प्रबंधन, खान–पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, लखनऊ	सदस्य
7.	महानिदेशक पर्यटन/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(संबंधित अधिकारी), पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के अध्यक्ष यदि उपयुक्त समझें तो आवेदन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये परीक्षण हेतु किसी अन्य विभाग/विभागों के अधिकारी /अधिकारियों को समिति में नामित कर सकेंगे।

- **राज्य स्तरीय नीति कार्यान्वयन समिति (State Level Policy Implementation Committee)**

  इस समिति की अध्यक्षता पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पर्यटन करेंगे। वित्त नियंत्रक और कमांड सेंटर (ऑनलाइन डैशबोर्ड के लिए जिम्मेदार संस्था/अधिकारी) भी समिति का हिस्सा होंगे। इसका दायित्व प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों को सहयोग प्रदान करना, बाधाओं को दूर करना और ज़मीन पर कार्यान्वयन में तेज़ी लाना होगा।

- **जिला स्तरीय नीति कार्यान्वयन समिति (District Level Policy Implementation Committee)**

  इस समिति के माध्यम से उ0प्र0 पर्यटन नीति के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन समूहों के चिन्हीकरण, प्रदेश के विभिन्न आकर्षणों– पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, विरासतों और परम्पराओं का प्रचार–प्रसार व संरक्षण किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में गठित जिला पर्यटन व संस्कृति परिषद द्वारा इस कार्य को किया जायेगा। इसके प्रमुख कार्य निम्न होंगे–
  - जिले में पर्यटन विकास के लिए भूमि पार्सल की पहचान करना।
  - जिला स्तर पर निवेशकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को सत्यापित करना।
  - पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न एजेंसियों के संसाधनों के अभिसरण को सुगम बनाना।
  - अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय कर प्रत्येक जिले के लिए पर्यटन मास्टर प्लान के विकास को बढ़ावा देना।
  - गाइड, फ्रीलांसर, फोटोग्राफर, होमस्टे पतों के लिए सूची बनाने और पर्यटन सेवा प्रदाता डेटाबेस विकसित करने और पर्यटन से संबंधित मामलों पर आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय जनसंख्या की कौशल प्रोफाइलिंग।
  - पर्यटन विभाग के प्रकाशन और प्रचार सामग्री में योगदान और जिले के पर्यटक अनुकूल स्थानों के प्रचार के लिए यात्रा लेखकों, मीडिया को प्रोत्साहित/सुविधा प्रदान करना।
  - आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट क्षेत्रों/पर्यटन स्थलों के लिए स्थानीय समुदाय हितधारकों को जुटाना और सूचीबद्ध करना।

15. पर्यटन विभाग प्रदेश में पर्यटकों के सुविधार्थ व सुरक्षा हेतु पर्यटन की दृष्टि से नवविकसित अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गंतव्यों जैसे–चित्रकूट, नैमिषारण्य, मिर्जापुर, कुशीनगर, अयोध्या, कपिलवस्तु, गढ़मुक्तेश्वर आदि स्थलों पर पर्यटन पुलिस (Tourism Police) को तैनात किये जाने हेतु कार्यवाही करेगा।

16. प्रश्नगत प्रकरण/अन्य किसी नीतिगत निर्णय हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जिसकी संस्तुति पर अग्रेतर आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।
17. उक्त पर्यटन नीति 05 वर्षों के लिये मान्य होगी।
18. उक्त पर्यटन नीति की प्रति विभागीय वेबसाइट www.uptourism.gov.in पर उपलब्ध है।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य सचिव, उ0प्र0।
4. सचिव, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार ।
5. अध्यक्ष राजस्व परिषद, उ0प्र0।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
8. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
9. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 ।
11. स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
12. महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 ।
13. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
15. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, लखनऊ।
16. वित्त नियन्त्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
17. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
18. समस्त उप निदेशक/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, उ0प्र0 ।
19. वित (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–7 वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।